वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.09.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 05.09.2024

30 दिन में 261 नोटिस, 151 बेसमेंट खाली

पार्किंग और सुगम यातायात के लिए बेसमेंट में कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। पार्किंग और सुगम यातायात को ध्यान में रखकर वीडीए ने एक माह में 261 लोगों को नोटिस दिया था। इनमें से 151 बेसमेंट खाली कराए गए हैं। 5 बेसमेंट सील कर 85 नोटिस की सुनवाई की जा रही है। 12 बेसमेंट संचालकों ने पार्किंग के उपयोग का शपथ पत्र दिया है। तीन ऐसे मामले हैं जो बेसमेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि बेसमेंट में कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सुगम यातायात के लिए जरूरी है। यह आगे भी जारी रहेगा। हर 15 दिन पर कार्रवाई की जोनवार समीक्षा की जाएगी। कहा कि बेसमेंट कारोबार से सड़क पर वाहन खड़ा होते हैं जो जाम का कारण बनते हैं। बेसमेंट में वाहन पार्किंग होने से काफी हद तक जाम से राहत मिलेगी।

खजूरी में बेसमेंट में चल रहे ऑफिस को खाली कराया गया। स्रोत : वीडीए

सारनाथ में ध्वस्त कराई 5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को सारनाथ में 5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, सारनाथ वार्ड के व्यासपुर मौजा में अज्ञात की ओर से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। मौके पर पहुंचे प्रवर्तन के अधिकारियों ने पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण ध्वस्त कराया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता जेपी गुप्ता की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। वीडीए उपाध्यक्ष ने जनता से अपील की कि वीडीए से लेआउट स्वीकृत कराएं बिना किसी प्रकार का निर्माण न कराएं। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 05.09.2024

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। शौर्य श्री 2024 सम्मान के आयोजन में चेतमणी जेम्स एंड ज्वेल्स की अंकुर अग्रवाल और मनिका अग्रवाल की अहम भूमिका रही। अंकुर अग्रवाल और मनिका अग्रवाल ने इस तरह के आयोजन पुलिस कर्मियों को और बेहतर तरीके से जनसेवा की प्रेरणा देंगे। समारोह में आने का अवसर मिला, यह हमारे लिए यादगार रहेगा।

इसके अलावा आयोजन में विशेष सहयोगी के रूप में रुद्रा ग्रुप के अरुण अग्रवाल, एजीआर ऑटोमोबाइल्स के राजीव गुप्ता, आर्यन प्रॉपर्टीज के अभिनव पांडेय, दी गोल्डन थ्रेड के अब्दुल्ला अंसारी, पीतांबरी के उमंग लोहिया, गणपति ऑटो के राकेश गुप्ता, एमएसए एडवरटाइजिंग के चंद्रशेखर सिंह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल हेड प्रेमचंद राय और वीडीए के पीआरओ पीयूष श्रीवास्तव रहे।

स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय, श्री साईं बाबा डेवलपर, किसान फॉडर मिल, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट, उदय ऑटो सेल्स प्रा. लि., रोमा बिल्डर्स और सिएट ग्रुप ऑफ एसोसिएट ने भी आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हिन्दुस्तान–दि0 05.09.2024

पांच बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की

वाराणसी। वीडीए ने सारनाथ जोन के व्यासपुर में बुधवार को पांच बीघा में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। करीब पांच घंटे तक कार्यवाई चली। इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, जेई जेपी गुप्ता मौजूद रहे।

आज–दि0 05.09.2024

बेसमेंटमें कारोबार, सड़कोंपर वाहन, अब होगी सख्त कारवाई-विप्रा उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरणके उपाध्यक्ष पुलकित गर्गने बताया कि बेसमेंटमें कारोबार और सड़कपर वाहन खड़े होंगे तो माल या भवन स्वामीके विरुद्ध कड़ी कारवाई होगी। बहुत सी जगहपर देखा गया है कि बेसमेंटमें पार्किंग न होनेसे सड़कों और गलियोंमें वाहन खड़े होते हैं। इसके लिए जोन वार कारवाई करनेका निर्देश दिया गया है। यह कारवाई १५ दिनोंतक चलेगी और जोनवार इसकी समीक्षा की जायेगी। अभी तक जोन एक में ६७ प्रकरण हैं जिसमें ४६ को खाली कराया गया, २० को नोटिस दी गयी और एक का समन जमा किया गया। जोन-दो में दस प्रकरण हैं जिसमें सात खाली कराये गये, दो सील किये गये और एक पर सुनवाई चल रही है। जोन-३ में ९७ प्रकरण हैं जिसमें ७४ खाली कराये गये, १६ को नोटिस दी गयी, चार दुकानोंका संचालन बन्द कराया गया। जोन-४ में ७० प्रकरण हैं जिसमें नौ खाली कराये गये, दो का बेसमेंट सील किये गये और ४७ प्रकरणमें नोटिसपर सुनवाई चल रही है। १२ प्रकरणोंका शपथ पत्र लिया गया और जोन-५ में १७ प्रकरण हैं जिसमें १५ खाली कराये गये, एक बेसमेंट सील किया गया, एक में नोटिसपर सुनवाई चल रही है और तीन ऐसे प्रकरण थे जो बेसमेंटमें नहीं आते हैं।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 05.09.2024

बेसमेंट में कारोबार करने वालों पर हुई कार्रवाई

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशनुसार बेसमेंट मे कारोबार करने वालों के खिलाफ पिछले एक माह से विभागीय प्रवर्तन टीम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। कुल 261 संचालकों को नोटिस दी गई है। इसमें 151 बेसमेंट को खाली कराया गया है। वहीं, 5 बेसमेंट सील किए गए है। 85 नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 3 प्रकरण ऐसे है जो बेसमेंट की श्रेणी में नही आते है। वहीं, 12 संचालकों ने बेसमेंट में पार्किंग के उपयोग का शपथ पत्र दिया है। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बेसमेंट में कारोबार के खिलाफ चल रहा अभियान सुगम यातायात के लिए जरूरी है। यह आगे भी जारी रहेगा। हर 15 दिन पर कार्यवाही की जोनवार समीक्षा की जाएगी। कहा कि बेसमेंट कारोबार से सड़क पर वाहन खड़ा होते है जो जाम का कारण बनते है। बेसमेंट में वाहन पार्किंग होने से काफी हद तक जाम से राहत मिलेगी क्योंकि बेसमेंट पार्किंग के लिए बनाया जाता है।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 05.09.2024

बेसमेंट में कारोबार करने वालो के खिलाफ प्रवर्तन टीम ने चलाया अभियान

वाराणसी । विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर बेसमेंट में कारोबार करने वालों के खिलाफ पिछले एक माह से विभागीय प्रवर्तन टीम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। कुल 261 संचालकों को नोटिस दी गई है। इसमें 151 बेसमेंट को खाली कराया गया है। वहीं, 5 बेसमेंट सील किए गए हैं। 85 नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 3 प्रकरण ऐसे हैं जो बेसमेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वहीं, 12 संचालकों ने बेसमेंट में पार्किंग के उपयोग का शपथ पत्र दिया है।वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि बेसमेंट में कारोबार के खिलाफ चल रहा अभियान सुगम यातायात के लिए जरूरी है। यह आगे भी जारी रहेगा। हर 15 दिन पर कार्यवाही की जोनवार समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेसमेंट कारोबार से सड़क पर वाहन खड़ा होते हैं जो जाम का कारण बनते हैं। बेसमेंट में वाहन पार्किंग होने से काफी हद तक जाम से राहत मिलेगी क्योंकि बेसमेंट पार्किंग के लिए बनाया जाता है।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 05.09.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2, वार्ड-सारनाथ के प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।वार्ड-सारनाथ, मौजा-व्यासपुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी द्य उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया द्यजोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता जे0 पी0 गुप्ता उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 05.09.2024

वीडीए ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2, वार्ड-सारनाथ के प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-सारनाथ, मौजा-व्यासपुर के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी त उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को 4 सितम्बर को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।इस दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता जे0 पी0 गुप्ता उपस्थित रहे । उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 05.09.2024

261 बेसमेन्ट कारोबारियों को दी गई नोटिस,151 बेसमेन्ट कराये गये खाली,5 किये गये सील,50 नोटिसों पर चल रही कार्यवाही

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशनुसार बेसमेंट में कारोबार करने वालों के खिलाफ पिछले एक माह से विभागीय प्रवर्तन टीम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। कुल 261 संचालकों को नोटिस दी गई है। इसमें 151 बेसमेंट को खाली कराया गया है। वहीं, 5 बेसमेंट सील किए गए है। 85 नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 3 प्रकरण ऐसे है जो बेसमेंट की श्रेणी में नहीं आते है। वही, 12 संचालकों ने बेसमेंट में पार्किंग के उपयोग का शपथ पत्र दिया है।जोनवार बेसमेंट को लेकर हुई कार्रवाई जोन 01 में 46 खाली कराए गए। 20 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 01 शामन दाखिल किया गया है। जोन 02 : में 07 खाली कराए गए। 02 बेसमेंट सील किये गए। 01 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। इसी प्रकार जोन 03 में 74 खाली कराए गए। 16 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 04 दुकानों का संचालन बंद कराया गया है।जोन 04 में 09 खाली कराए गए। 02 बेसमेंट सील किये गए। 47 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 12 प्रकरण में संचालकों ने बेसमेंट में पार्किंग के उपयोग का शपथ पत्र दिया है।इसी क्रम में जोन 05 15 खाली कराए गए। 01 बेसमेंट सील किये गए। 01 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 03 प्रकरण ऐसे है जो बेसमेंट की श्रेणी में नहीं आते है।वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बेसमेंट में कारोबार के खिलाफ चल रहा अभियान सुगम यातायात के लिए जरूरी है। यह आगे भी जारी रहेगा। हर 15 दिन पर कार्यवाही की जोनवार समीक्षा की जाएगी। कहा कि बेसमेंट कारोबार से सड़क पर वाहन खड़ा होंटे है जो जाम का कारण बनते है। बेसमेंट में वाहन पार्किंग होने से काफी हद तक जाम से राहत मिलेगी क्योंकि बेसमेंट पार्किंग के लिए बनाया जाता है।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 05.09.2024

बेसमेंट पार्किंग सुगम यातायात के लिए है बेहद ज़रूरी : वीडीए वीसी पुलकित गर्ग

261 संचालकों को मिली नोटिस,151 बेसमेंट को खाली कराया गया, पांच बेसमेंट सील व 85 नोटिस पर चल रही सुनवाई

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशनुसार बेसमेंट में कारोबार करने वालों के खिलाफ पिछले एक माह से विभागीय प्रवर्तन टीम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। कुल 261 संचालकों को नोटिस दी गई है। इसमें 151 बेसमेंट को खाली कराया गया है। वहीं, 5 बेसमेंट सील किए गए हैं। 85 नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 3 प्रकरण ऐसे हैं जो बेसमेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वहीं, 12 संचालकों ने बेसमेंट में पार्किंग के उपयोग का शपथ पत्र दिया है।

जोनवर बेसमेंट को लेकर जो कार्रवाई हुई है उनमें जोन 01 में कुल 67 प्रकरण हैं। इसमें 46 खाली कराए गए। 20 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 01 शामन दाखिल किया गया है।जोन 02 में कुल 10 प्रकरण हैं। इसमें 07 खाली कराए गए। 02 बेसमेंट सील किये गए। 01 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है।जोन 03 में कुल 97 प्रकरण हैं। इसमें 74 खाली कराए गए। 16 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 04 दुकानों का संचालन बंद कराया गया है।जोन 04 में कुल 70 प्रकरण हैं। इसमें 09 खाली कराए गए। 02 बेसमेंट सील किये गए। 47 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 12

वीडीए वीसी पुलकित गर्ग

प्रकरण में संचालकों ने बेसमेंट में पार्किंग के उपयोग का शपथ पत्र दिया है।जोन 05 में कुल 17 प्रकरण हैं। इसमें 15 खाली कराए गए। 01 बेसमेंट सील किये गए। 01 प्रकरण में नोटिस पर सुनवाई चल रही है। 03 प्रकरण ऐसे हैं जो बेसमेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि बेसमेंट में कारोबार के खिलाफ चल रहा अभियान सुगम यातायात के लिए जरूरी है। यह आगे भी जारी रहेगा।

हर 15 दिन पर कार्यवाही की जोनवार समीक्षा की जाएगी। कहा कि बेसमेंट कारोबार से सड़क पर वाहन खड़ा होते हैं जो जाम का कारण बनते हैं। बेसमेंट में वाहन पार्किंग होने से काफी हद तक जाम से राहत मिलेगी क्योंकि बेसमेंट पार्किंग के लिए बनाया जाता है।